न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 255/2024

गोटया पत्नी काना जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

बनाम

प्रार्थीया

1. भोली पत्नी तेजू जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
2. मनफूल पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
3. राजा देवी पत्नी भँवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
4. कर्णसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
5. कालू पुत्र श्री हरजी जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
6. देवीसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
7. नारायणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
8. अर्जुनसिंह पुत्र श्री भँवरसिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
9. उमा कंवर पत्नी स्व. रघुवीरसिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ जिला जमेर (राज.)
10. प्रेम पत्नी प्रभूलाल जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
11. पांचीदेवी पत्नी श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
12. मोडू पुत्र श्री छोगा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
14. उप पंजीयक, किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री महावीर मालाकार

दिनांक 21.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर मालाकार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पेश कर निवदेन किया कि प्रार्थीया ने एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 17.6362 हैक्टेयर स्थित है जिसकी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 12 सह खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया गोटया का 1/16 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 भोली का 1/16 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 मनफूल का 1/16 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 राजा देवी का 1/16 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 कर्णसिंह का 79/2190 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 कालू का 4/73 हिस्सा, अंप्रार्थी संख्या 6 देवीसिंह का 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

संख्या 7 नारायणसिंह का 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 अर्जुनसिंह का 99/1090 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 उमा कंवर का 119/2190 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 प्रेम का 3/16 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11 पांची का 509/7957 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 मोडू का 1/16 हिस्सा जमाबन्दी व खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का मय नींव सीव से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बँटवारा नहीं होने एवं अलग अलग खाता, खसरा कायम नहीं होने के कारण व अलग अलग रास्ता कायम नहीं होने के कारण आये दिन वाद विवाद काश्त को लेकर होता रहता है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीया को जमाबन्दी में दर्ज हिस्से में काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। दिनांक 18.11.224 को सुबह प्रार्थीया जब उक्त कृषि भूमि में काश्त कर रही थी तब अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में मय नींव सीव से बँटवारा नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया तथा मिट्टी खोदने लगे, विशिष्ट भू भाग से पैड़ उखाड़ने लगे, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करने लगे हिस्से को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगे तथा कहने लगे कि मिट्टी खोदने से रोका तो हम उक्त कृषि भूमि के बिना बँटवारे के भूमि के विशिष्ट भू भाग का वैचान हस्तान्तरण किसी अजनबी दादा किस्म के व्यक्ति को कर देगें तथा वैचान रजिस्ट्री पंजीयन करा देगें जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ, दिन प्रतिदिन जारी है। उक्त कृषि भूमि में मय नींव सीव से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का जमाबन्दी के अनुसार बँटवारा नहीं होने के कारण एवं उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया के काश्त में अप्रार्थीगण व्यवधान पैदा नहीं करे एवं अप्रार्थीगण मिट्टी नहीं खोदे किसी विशिष्ट भाग का बैचान हस्तान्तरण नहीं करे इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द करवने हेतु यह धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। उक्त कृषि भूमि का मय नींव सीव से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बॅटवारा नहीं होने एवं अलग अलग खाता, खसरा कायम नहीं होने के कारण व अलग अलग रास्ता कायम नहीं होने के कारण आये दिन वाद विवाद काश्त को लेकर होता रहता है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीया को जमाबन्दी में दर्ज हिस्से में काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में उल्लेखित ग्राम काढ़ा स्थित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण बिना मय नींव सीव के बँटवारा नहीं होने तक प्रार्थीया के जमाबन्दी में दर्ज एवं मौके पर काबिज हिस्से में व काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं किसी विशिष्ट भू–भाग में मिट्टी नहीं खोदे एवं उक्त कृषि भूमि के विशिष्ट भू भाग का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करे एवं भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करे इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को पाबन्द कराने की कृपा करावे एवं अप्रार्थी संख्या 13 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी संख्या 14 के यहां बिना बँटवारे के बेचान रजिस्ट्री पेश होने पर उक्त भूमि की विशिष्ट भाग का पंजीयन नहीं करे इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 28.11.2024 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 01.04.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 01.04.2025 को

उपखण्ड अधिकारी
विजयनगर (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 01 से 14 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 19.08.2025 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/16 हिस्सा निहित है अर्थात प्रार्थीगण वादअधीन भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर सहखातेदार है तथा अपने 1/16 हिस्से पर काबिज काश्त है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 12 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 178 रकबा 17.6362 हैक्टेयर में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

21/8/25

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)